बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 139949 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 25-02-13

ग्रा०वि० - 11/अंकेक्षण(वित्त)-41/2011

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

सहरसा, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, किशनगंज एवं बक्सर ।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,

(प्रखंड- डुमरिया, बोधगया जिला- गया एवं चंडी, जिला- नालंदा को छोड़कर) ।

विषय:- **वित्त अंकेक्षण विभाग द्वारा निर्गत वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सन्निहित गबन/दुर्विनियोग/क्षति/वसूली योग्य राशि को शीघ्र जमा करने एवं दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 122093 दिनांक 12.09.12 का कृपया स्मरण करें । प्रसंगाधीन पत्र द्वारा मांगा गया प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले के नियंत्रणधीन संबंधित प्रखंडों के अंतर्गत लंबित वित्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अविलंब प्राप्त कराने की कृपा की जाय तथा उसकी प्रति अविलंब अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायी जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

25.2.13

(अजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव